न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/4268/2005/चित्तौडगढ

गोतमपुरी पिता गिरवरपुरी गुसाई, मृतक के बजाए–
1. काशीपुरी गोद पुत्र गोतमपुरी गुसाई
2. वजीबाई बेवा गौतमपुरी गुसाई
   –समस्त निवासीगण देवरी तहसील बडी सादडी जिला चित्तौडगढ

....अपीलांट्स/वादीगण

बनाम

1. देवा पिता मेघा चमार
2. उदा पिता मेघा चमार
3. भगवाना पिता मेघा चमार
4. मोहनलाल पिता मेघा चमार
5. जेतू बेवा मेघा चमार
6. हीरा पिता केला चमार
   –समस्त निवासीगण देवरी तहसील बडी सादडी जिला चित्तौडगढ

7. भूमिधारी तहसीलदार बडी सादडी जिला चित्तौडगढ

....रेस्पोन्डेन्ट्स/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः–

श्री के0के0पुरोहित, अधिवक्ता, अपीलांट्स।
रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय

दिनांकः– 05–07–2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–05–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडी सादडी के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 188, 88, 209 के तहत ग्राम देवरी तहसील बडीसादडी स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 180, 181, 239/1 के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। वाद पत्र के प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए, लेकिन प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध आदेशिका दिनांक 28–03–1992 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही संस्थित की गई। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिन्हें कई बार जवाबदावा प्रस्तुत करने के अवसर दिए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा अपना जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाबदावा पेश नहीं होने के कारण प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गई। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने वादीगण के वाद में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर वाद साबित नहीं होने के कारण निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2004 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–05–2005 द्वारा खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रख दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 16–05–2005 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट्स/वादीगण ने बहस में कहा कि विवादित आराजियात कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि का वर्ष 1944 को उनके पर्वजों द्वारा क्रय की गई है तथा उक्त भूमि का पंजीयन दिनांक 07–01–1945 को हुआ तथा कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। उनका कहना है कि विवादित आराजियात बाबत सम्पादित उक्त विक्रय होने के बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उनके वाद को निरस्त करने में अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। उनका आगे कहना है कि किसी भी विक्रय पत्र में आराजी नम्बर व पडौस के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है तो आराजियात के अंकित पडोस ही सही मानते जाते है। प्रस्तुत मामले में आराजियात के अंकित पडौसी के अनुसार वादी की आराजी का हस्तान्तरण किया गया। जबकि विक्रय पत्र में गलती से आराजी खसरा संख्या 188 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा दर्ज कर दिया गया, जिस पर अपीलान्ट का कब्जाकाश्त नहीं होकर उक्त पडौसी का ही वर्णित आराजी पर ही कब्जाकाश्त है। इस कारण वादी वाद पत्र में उल्लेखित भूमि के बाबत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। उनका तर्क है कि प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी तहसीलदार के समक्ष पेश किया, उक्त प्रार्थना पत्र को तहसीलदार द्वारा स्वीकार किए जाने के विरूद्ध अपीलार्थीगण जिला कलक्टर चित्तौडगढ के समक्ष अपील पेश की गई। जिला कलक्टर चित्तौडगढ ने उक्त अपील में निर्णय दिनांक 08–01–2002 पारित कर वादीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार बडीसादडी के आदेश को अपास्त कर दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर ने अपने आदेश में विवेचित किया कि विक्रय पत्र वर्ष 1944 काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व का होना कथित करते हुए तहसीलदार का आदेश अपास्त किया। उक्त निर्णय के अनुसार विवादित आराजियात पर अपीलार्थीगण का अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण ने अपने वाद को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित कराया है तथा वादी/अपीलान्ट

विवादित आराजियात पर काबिज चले आ रहे है। जहां तक आराजी खसरा संख्या 188 वादी के नाम अंकित किये जाने का प्रश्न है, वह पूर्णतया गलत रूप से अंकित की गई है। जबकि वादी का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जाकाश्त नहीं है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में गोवर्धनपुरी के नाम दर्ज है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-05-2005 एवं उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-05-2004 को अपास्त कर विवादित आराजियात कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि बाबत अपीलार्थीगण/वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने का निवेदन किया।

5. हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

6. मामले में विचारणीय बिन्दु यह है क्या वादीगण आराजी खसरा संख्या 188 बाबत निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07-01-1945 से बाध्यकारी है अथवा नहीं ?

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श-13 के अनुसार आराजी संख्या 188 सम्वत 1986 में केला वल्द शम्भु चमार के नाम दर्ज रेकार्ड होकर कब्जा गिरवरपुरी पिता गणेशपुरी गुसाई का दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श-5 के अनुसार आराजी संख्या 188 सम्वत 2009 से 2010 में गोतमपुरी पिता गिरवरपुरी के नाम दर्ज रेकार्ड है। रेकार्ड में उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 14 में आराजी संख्या 188 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि वादी गोतमपुरी के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस नामान्तरकरण से भूमि गोवर्धनपुरी के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार

वादी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की आराजी संख्या 188 उसके खाते में चली आ चुकी है तथा बाद में वादी की खातेदारी से गोवर्धनपुरी के खाते में गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में बयनामा आराजी खसरा संख्या 180, 181, 239/1 का हुआ है। विक्रय पत्र में सहवन से आराजी संख्या 188 दर्ज हो गया है। वादी का यह कथन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। पंजीकृत विक्रय पत्र से बेचान की भूमि आराजी संख्या 188 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। जो कि पूर्व में केला पिता शम्भू चमार के नाम दर्ज रेकार्ड थी। उपलब्ध रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर भूमि हडपने की नियत से वादी द्वारा हस्तगत मूल वाद पेश किया है, जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित की गयी भूमि वादी की खातेदारी में पूर्व से ही चली आ रही है, जो कि वर्तमान में गोवर्धनपुरी के नाम दर्ज रेकार्ड है। पंजीकृत विक्रय पत्र में किए गए अंकन को अन्यथा सिद्ध करने का कोई अकाट्य प्रमाण हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है तथा वादीगण विक्रय पत्र में किए गए अंकन से प्रतिबद्ध है। रेकार्ड से यह प्रकट होता है कि वादी पंजीकृत विक्रय पत्र की आड में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व का निष्पादित विक्रय पत्र कथित कर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अपना खातेदारी अधिकार पाना चाहता है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

7. हमारे समक्ष उपलब्ध रेकार्ड का विधि के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा के दावे को उपलब्ध रेकार्ड से साबित होना नहीं पाकर विचारण न्यायालय ने वादीगण के घोषणा के दावे को निर्णय व डिक्री दिनांक 31-05-2004 द्वारा खारिज करने में किसी विधि का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतएवं मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है।

8. उक्त विधि सम्मत तरीके से पारित उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश की। अपीलीय न्यायालय ने विवेचित किया है कि मामले में सम्पादित विक्रय पत्र के आधार पर वादी ने अपना वाद दायर किया है तथा विक्रय पत्र को वादी ने किसी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है। तदनुसार अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण की अपील को सारहीन होना पाकर उसे अपास्त करने के निष्कर्ष से यह न्यायालय सहमत है। सारांशतः हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानार्न्तत होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन होना प्रकट होती है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-05-2005 तथा उपखण्ड अधिकारी बडी सादडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-05-2004 को यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली उपरोक्तानुसार निर्णित की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर क्रम से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य